रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांकः डीसी/डी–2/मा.अ.आ./2013/ दिनांकः

1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
2. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान

विषयः– नशे के लिये दुरूपयोग की जाने वाली दवाओं पर प्रभावी नियंत्रण बाबत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देश।

यह कि माननीय राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, राजस्थान, जयपुर ने परिवाद संख्या 12/16/3285 द्वारा श्री गुरबल पाल सिंह संधू, श्रीगंगानगर को निस्तारित कर दिनांक 07.06.2013 को आदेश पारित किया है जिसके अनुसार माननीय अध्यक्ष को उनके श्रीगंगानगर प्रवास के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ जिले में दवा के दुकानो के माध्यम से नशीली दवाईयों का व्यापार किया जा रहा है। आयोग के यह भी ध्यान में लाया गया था कि ग्रामीण एवं शहरी क्षैत्रो में चल रही अग्रेंजी दवाओं की दुकानो पर डॉक्टर की पर्ची के बिना, दुकानदारो द्वारा नशे के आदी लोगो को नशीली दवाईयॉ विक्रय की जा रही है जिससे राज्य में नशे की प्रवृति बढती जा रही है।

माननीय आयोग ने इस मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर, तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की एवं औषधि नियंत्रण संगठन के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अग्रेंजी दवाओं की दुकानों का समय–समय पर निरीक्षण कर दुकानों पर डॉक्टर की पर्ची के बिना नशीली दवाओ के विक्रय पर पूर्ण एवं प्रभावी रोक लगाई जावें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षैत्र में स्थित अग्रेंजी दवा की दुकानों का समय–समय पर निरीक्षण कर नियमो के अनुरूप दुकानों पर डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाईयों का विक्रय न होने दे तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर पूर्ण एवं प्रभावी रोक लगाई जाना सुनिश्चित करें। ऐसे दुकानदार जो ऐसी दवाओं का विक्रय बिना Prescription के अथवा नशे के विकल्प के रूप में करते पाये जावे उन पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्अधीन नियमावली 1945 के तहत नियमानुसार सख्त कार्यवाही सम्पादित करें।

Sd

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांकः डीसी/डी–2/मा.अ.आ./2013/ 414 दिनांकः 09/09/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप रजिस्ट्रार, माननीय राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 12/16/3285/3822 दिनांक 24.06.2013 की पालना में निर्णय दिनांक 07.06.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप इस पत्र को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवावें।
4. रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर